न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 03 / 2026

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
श्री हेमन्त कुमार पुत्र कालूराम
जाति अग्रवाल निवासी 163,
अग्रवालों का मोहल्ला, बाडमेर
(मैसर्स कालूराम हेमन्त कुमार,
गुरूद्वारा रोड़, बाडमेर का
मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनाँक : 04.03.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स कालूराम हेमन्त कुमार, गुरूद्वारा रोड़, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनाँक **29.09.2025** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पनीर** जो कि एक प्लास्टिक की थैली में डीपफ्रीज में करीब **10** कि0ग्रा0 रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **01 कि0ग्रा0 पनीर** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2957** अंकित कर इसकी जाँच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए उक्त परिवाद में नरम दृष्टिकोण अपनाने हेतु निवेदन किया है।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट दिनांक **29.10.2025** में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए उक्त परिवाद में नरम दृष्टिकोण अपनाने हेतु निवेदन किया है। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ की विश्लेषण में **मिल्क फेट** के आँकडे निर्धारित मानक 50% से कम नहीं के मुकाबले **40.80%** पाया गया है। यह अन्तर मानक स्तर से अत्यधिक ज्यादा है तथा इस प्रकार निम्न स्तर का खाद्य पदार्थ अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान में ग्राहकों को विक्रय करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस जवाब प्रस्तुत नहीं करना उसके प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी को भलीभांति निर्वहन करना चाहिए। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 20,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर